| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>**खेमसिंह जोधा बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर )**<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 252/2022 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **23-08-2022** | अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, पता ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.06.2022 में (1) कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर में वर्ष 1990–1991 में कार्यरत रहे अधिकारी/कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर की नियमानुसार प्रमाणित छया प्रति उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1162 दिनांक 01.08.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने से धारा 5(4) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 880 दिनांक 29.06.22 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु संस्थापन शाखा से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में उक्त अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण इनको धारा 5(5) के तहत लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कराने की प्रार्थना की।<br>चूंकि प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा, कार्यालय हाजा के पत्रांक 7992–7993 दिनांक 08.08.2022 जरिये अवगत कराया गया उनके द्वारा संबंधित सूचना तैयार कर लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम शहर जोधपुर ) को प्रेषित की जा चुकी है अतः लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम ) जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को तैयार सूचना तुरन्त प्रेषित करें। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |